पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
विसमुलेधि / भण्डार
गोरखपुर

सं0–एसए / बी / पालिसी / 2018

दि0–22.10.2018

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक,
पूउरे, गोरखपुर

विषय : आपूर्तिकर्ता बीजकों के पारित करने तथा जमानत राशि के छूट के सम्बन्ध में संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO)।

आपूर्तिकर्ता बीजकों के पारित करने तथा जमानत राशि के छूट के सम्बन्ध में संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) की प्रति तत्काल प्रभाव से अनुपालन हेतु संलग्न की जा रही है। यह संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) रेलवे बोर्ड से स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त होने तथा तद्नुसार प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश तक प्रभावी होगा ।

उपरोक्त महाप्रबन्धक महोदय द्वारा अनुमोदित है।

संलग्नक / दो।

(सुनील कुमार सिंह)
उप विसमुलेधि / भं0एवं का0

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक

मु0 सा0 प्र0/सि0, ~~मु0 सा0 प्र0/नि0~~

उप मु0 सा0 प्र0/G (Policy)

विषय : आपूर्तिकर्ता बीजकों के पारित करने तथा जमानत राशि के छूट के सम्बन्ध में संयुक्त प्रकिया आदेश (JPO) ।

26/c

(A) **<u>बीजकों को पारित करने तथा क्रय उच्चंत लेखा के प्रतिपादन हेतु :–</u>**

IREPS, IMMS तथा IPAS के पूर्ण रुप से कियान्वित होने, तीनो के आपस में सम्बद्ध होने एवं लेखा कार्यालय के पत्र सं: एसए/बी/आर.नोट/44/2179 दि0 23.07.18 द्वारा रेलवे बोर्ड को संदर्भित इनसे सम्बन्धित मदों पर स्पष्ट दिशा–निर्देश प्राप्त होने तक आपूर्तिकर्ता बीजकों के निस्तारण हेतु अस्थायी रुप से निम्न प्रकिया का अनुपालन किया जाना है :–

(1) कोडल प्रावधानों के अनुरुप आपूर्तिकर्ताओ के बीजक को पारित करने हेतु आंतरिक जांच करने के उद्देश्य से निम्न कार्यवाही की जाएगी :–

(i) प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक कार्यालय तथा भण्डार डिपो कार्यालय द्वारा IMMS पर तैयार कय आदेशों को वित्तीय विवीक्षा (यदि अनुमेय हो) के उपरान्त डाउनलोड कर उस पर निधि का सत्यापन तथा सम्बन्धित नामित सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/सत्यापन के साथ सम्बन्धित लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा । लेखा कार्यालय द्वारा इस डाऊनलोडेड सत्यापित /हस्ताक्षरित कयाआदेश को लेखा प्रति मानकर आगे की सारी कार्यवाही कोडल प्रावधानों के अनुरुप की जाएगी ।

(ii) IMMS के माध्यम से तैयार डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई रिसीटेड चालान आपूर्तिकता फर्मो को IREPS पर उपलब्ध है , अतः आपूर्तिकर्ता फर्मो को IREPS से ई रिसीटेड चालान डाउन लोड कर लेना चाहिए तथा इसी आधार पर अपना बिल प्रस्तुत करना चाहिए । चूँकि ई रिसीटेड चालान की प्रति लेखा विभाग को IPAS पर उपलब्ध नही है, अतः लेखा विभाग बीजको के साथ प्राप्त डाउन लोडेड ई रिसीटेड चालान पर कोडल प्राव्धानों के अनुरुप आतंरिक जॉच करने में समर्थ नही है । यह उचित होगा कि लेखा विभाग सत्यापित/हस्ताक्षरित ई रिसीटेड चालान के आधार पर भुगतान करें ।

परन्तु ई रिसीटेड चालान की प्रति आपूर्तिकर्ता फर्मो के बीजक के साथ लगा होना चाहिए अतः व्यवहारिक कठिनाइयों तथा अनावश्यक दोहरा कार्य को ध्यान में रखते हुए ई रिसीटेड चालान की सत्यापित/हस्ताक्षरित प्रति आपूर्तिकर्ता फर्मो को उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि अपने बिलो के साथ कोडल प्रावधानों के अनुरुप लेखा विभाग को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा । लेखा विभाग इस सत्यापित /हस्ताक्षरित ई रिसीटेड चालान के आधार पर कोडल प्रावधानों के अनुरुप आगे की कार्यवाही करेगा ।

(iii) भण्डार डिपो द्वारा IMMS पर तैयार डिजीटल रिसीट नोट को डाऊनलोड कर डिपो अधिकारी द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित कर सम्बन्धित डी0एस0ए0 के माध्यम से लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा । इस सत्यापित/हस्ताक्षरित रिसीट नोट को लेखा प्रति मानकर कोडल प्रावधानों के अनुरुप आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

3. बीजक के साथ संलग्न रिसीट नोट की आपूर्तिकर्ता प्रति पर Signature not verified, validity unknown आदि की तरह अस्पष्ट अभियुक्ति अंकित होने की स्थिति में भंडार विभाग द्वारा जारी हस्ताक्षरित लेखा प्रति से इसका मिलान कर उच्चंत लेखा अनुभाग द्वारा केडिट का सत्यापन किया जायेगा ।

कमशः............ 2

25c

4. कयादेश में किये गये संशोधनों की हस्ताक्षरित प्रति भी लेखा विभाग को प्रेषित की जायेगी

5. रिसीट नोट में R.O. Number, Quantity, Rate और फर्म का नाम छोडकर, किसी अन्य प्रकार की **साधारण या टंकण त्रुटि** होने या कयादेश में किये गये संशोधन को रिसीट नोट में शामिल नहीं किये जाने तथा ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा संशोधन संभव ना होने की स्थिति में संबंधित डिपो द्वारा मैनुअल संशोधन पत्र जारी किया, जायेगा ।

6. प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु नामित किये गये भंडार एवं डिपो के अधिकारियों का नमूना हस्ताक्षर सम्बन्धित लेखा कार्यालय को भेजा जायेगा ।

(B) <u>कय आदेशों की वित्तीय विधीक्षा में जमानत की राशि (SD) के सम्बन्ध में</u> :–

1. संरक्षा मदों के मामले में, फर्मो द्वारा SD जमा न कराने की स्थिति में पूर्वोत्तर रेलवे भण्डार विभाग के पत्रांक –S/215/EMD&SD/Policy/2015 Dt. 04.01.18 (जो कि महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदन से जारी हुआ है) के द्वारा जारी नीति –
"आपूर्तिकर्ताओं के प्रथम बिल से (SD) की कुल राशि की कटौती कर ली जाएगी।" के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

2. **रेलवे बोर्ड के पत्रांक–2004/RS(G)/779/11 Dt. 21.02.18 के आलोक में –**

(a) RDSO/RCF/ICF तथा रेलवे के अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों (PSUs) से Approved फर्मो के SD माफी हेतु उनके आर्थिक सीमा का उल्लेख आवश्यक नहीं है ।

(b) रेलवे बोर्ड के इस पत्र के मद सं0–2 के आधार पर टेण्डर कमेटी/टेण्डर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी मामले की समीक्षा कर मेरिट के आधार पर यदि आवश्यक हो तो SD को माफ कर सकता है । परन्तु SD माफी के लिए कारण को स्पष्ट रुप से अंकित करना होगा । **मेरिट का आधार निम्नवत होगा** :–

(i) फर्म पूर्वोत्तर रेलवे पर पूर्व में विषयगत मद हेतु सफल आपूर्तिकर्ता होना चाहिए।

(ii) फर्म MSME या NSIC रजिस्टर्ड है तथा सम्बन्धित मद या समदृश्य मद का पूर्व में पूर्वोत्तर रेलवे या अन्य रेलवे में सफल आपूर्तिकर्ता होना चाहिये ।

(iii) तत्कालिकता की स्थिति में यदि टेण्डर कमेटि/टेण्डर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी यह अनुभव करता है कि SD के कारण विलम्ब हो सकता है तथा पूर्व में उस फर्म की कोई विफलता नही है जिसके आधार पर सक्षम अधिकारी प्रथमद्दष्टता संतुष्ट है कि फर्म आपूर्ति कर सकता है ।

3. वित्तीय विधीक्षा हेतु प्राप्त DRAFT P.O. पर किसी तरह का मानवीय सुधार मान्य नहीं होगा । DRAFT P.O. पर सभी आवश्यक संशोधन IMMS के माध्यम से किए जाएगें । टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त यदि SD माफ करने सम्बन्धित कोई कार्यवाही की जाती है, तो ऐसी स्थिति में टेण्डर स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इसका आवश्यक संशोधन जारी किया जाएगा ।

27/09/18

मुख्य सामग्री प्रबन्धक/सामान्य

विसमुलेधि/भं0का0या0

27/9/18